

04.11.2024

20/11

2024/685

10.01.2025

फर्द अहकाम

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ  
रामेश्वरलाल बनाम मामराज आदि

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट

प्रकरण संख्या 495 वर्ष 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
15.10.2024	वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के बाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा 04.11.2024 को पेश हो।	
30.10.2024	वकील मुनीश्वरी ने प्रार्थना-पत्र मिश्रित पेशी पेश करते पत्र प्रभावकी के पेशी में लिया गया। कुलार्थ करिसेन उपरिपत्रा मुनीश्वरी को, जे जारिसे वकील शिवण कुमार उपरिपत्रा अग्रत जे काल धारा पेश। जिसे शारिल फाविल विरागणा प्रभावकी वास्ते स्टेट लक्ख धारिकी तारीख 4-11-2024 को पेश हो।	मामराज
4/11.2024	कुलार्थ करिसेन उपस्थित/PU मुद्दा धनवर्ष में उपरिपत्रा पत्रावली प्रभावकी वास्ते दिनांक 03.11.2024 को पेश हो	
30.12.2024	कुलार्थ करिसेन उपस्थित/PU मुद्दा धनवर्ष में उपरिपत्रा पत्रावली प्रभावकी वास्ते दिनांक 10.11.2024 को पेश हो	
10.01.2025	कुलार्थ करिसेन उपस्थित/PU मुद्दा धनवर्ष में उपरिपत्रा पत्रावली प्रभावकी वास्ते दिनांक 10.01.2025 को पेश हो। प्रभावकी पर उपरिपत्रा प्रभावकी को जबरन धारिकी के आधार पर कद करी दिन्ही जिसे जारिसे मुनीश्वरी सहित निर्वाप अलग से लिखण जाण- शारिल फाविल विरागणा प्रभावकी नाम से कम की जाणत कड तरकीब तकनीक जाणत शारिल फाविल प्रभावकी हो।	

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

